कानूनी सूचना

तो, श्री राजेश कुमार फ्लैट संख्या 302, ग्रीन वैली अपार्टमेंट, नई दिल्ली-110048

विषयः किराए का भुगतान न करने के लिए कानूनी सूचना

प्रिय श्री कुमार जी,

मेरे मुवक्किल, श्री अनिल शर्मा, फ्लैट नंबर 302, ग्रीन वैली अपार्टमेंट के वैध मालिक और मकान मालिक के निर्देशों के तहत, मुझे यह कानूनी नोटिस देने के लिए निर्देशित किया गया है।

आपको 1 मार्च 2023 को उपरोक्त परिसर में ₹15,000/- के मासिक किराए पर किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था, जो प्रत्येक कैलेंडर महीने की 5 तारीख या उससे पहले देय है। हालांकि, बार-बार मौखिक और लिखित अनुस्मारकों के बावजूद, आप पिछले लगातार तीन महीनों (फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024) के लिए किराए का भुगतान करने में विफल रहे हैं, जिसकी कुल राशि ₹45,000/- है।

यह 1 मार्च 2023 के किरायेदारी समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है। आपके गैर-अनुपालन के कारण मेरे मुवक्किल को मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान हो रहा है।

आपको इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर ₹45,000/- के पूरे बकाया किराए का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल रहने पर मेरे मुवक्किल को अपनी लागत और जोखिम पर बेदखली और बकाये की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए विवश किया जाएगा।

यह कानून के तहत मेरे मुवक्किल को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

ईमानदारी से,

एड. मीरा सिंह एडवोकेट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तिथिः 15 मई 2025